राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-4) निरीक्षण

क्रमांक प0 5(3)प्रसु0/अनु0-4/92   जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 1992.

आदेश

राजकीय कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों/बोर्डों आदि में अनुशासन, कुशलता तथा काम काज के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षणों के लिए सचिवालय स्तर के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में निरीक्षण दल का गठन किया है । आप सहमत होंगे कि सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों आदि के कार्य स्तर में सुधार हेतु अनुशासन एवं कार्य कुशलता को सर्वोपरि महत्व है तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में तत्परता, कुशलता एवं परिणाम पूरक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में हम सब का सम्मिलित प्रयास बहुत आवश्यक है ।

अनुशासन एवं कुशलता का एक प्रमुख तत्व है, समय की पाबंदी । अत: यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर आएं तथा कार्यालय समय में अपनी जगह से अनुपस्थित न रहें । इस संबंध में जो लोग आदतन दोषी हैं, उनकी आदत में परिवर्तन कराने हेतु समय-समय पर आकस्मिक जांच तथा उसके बाद निरन्तर अनुवर्ती कार्यवाही इस दिशा में सही परिणाम दे सकती है । इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वास्तविक परिणामों के प्रति तत्परता के दृष्टिकोण के साथ अपना कार्य यथाशीघ्र निपटायें । सरकारी कार्य के कुशलता पूर्वक निष्पादन के लिए विभिन्न विभागीय नियमावलियों (मेन्यूअल) में एवं अन्य अनेक रूपों में सुनियोजित कार्य प्रणाली व समय सीमा निर्धारित की हुई है । यदि उनका सजगता से अनुपालन किया जाये तो अवश्य ही पत्रावलियों एवं कागजों का शीघ्र निपटारा होता रहेगा । यदि इस प्रकार के कार्य निपटारे की प्रक्रियाओं का उचित रूप से परिवीक्षण किया जाता रहे और साथ-साथ सुधारात्मक कार्यवाही की जाती रहे तो कार्य-कुशलता के स्तर में पर्याप्त सुधार होना निश्चित है । इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दल प्रमुखत: उपर्युक्त बिन्दुओं की देखरेख के उद्देश्य से आपके कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए आते रहेंगे । इस निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य कामकाज की वर्तमान स्थिति में सुधार की दृष्टि से कमियों को आपके ध्यान में लाकर इस दिशा में आपकी सहायता करना है ।

यह दल आपके कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य का भी, कार्य को सुधारने की दृष्टि से निरीक्षण करेगा ।

कृ0प0उ0